

अचल अधिकारी के कार्यालय
अभिलेख का संख्या- 45 CV 2016-17

जांच का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच
एवं जमाबंदी से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के आदेश-2074/सं. 5 दिनांक-13.05.2016
सहपतित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विभाग, सुजय एवं भूमि
सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खाता/निवि-119/85/2308/सं. दिनांक-03.09.1985
एवं सह-पतित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/सं. दिनांक-09.12.1988 में निहित
निदेश के अनुपालन में गैरमजसूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच
प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधिनाया प्रतिवेदित किया
गया है कि निम्नांकित विवरणों की भूमि -

मोजा- पॉकेट नंबर 202 खाना- 129 खाता संख्या- 139 प्लॉट संख्या-
202 एकड़- 202.030 एकड़ की भूमि जो गैरमजसूआ खास, अनायाद बिहार
(झारखण्ड) सरकार के एवाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मोजा के मालिकों-
के जिल्द संख्या- J के पृष्ठ संख्या- 232 पर जमाबंदी रैयत दोटे काल मांझी
के नाम से कायम है। पिता-सख मांझी

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणों की
भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।


हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत
होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के
आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार
पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निम्नी लाभ एवं
राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणों की जमीन की
सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम
1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से
संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें,
कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार
अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया
जाय।

अभिलेख दिनांक- 03/8/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी


अंचल अधिकारी
ता. 04.


27-11-2020


अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का मॉग किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के बीच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा पाकिखोड़ा मौजा नं० 129 खाता नं० 139 प्लॉट नं० 202 रकबा 0.30

से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी 11 के जमाबंदी भोलुम नं० 1 के पृष्ठ सं० 232 में रैयत दीदेबन्त मांझी पिता 57 सुभांझी सा० - पाकिखोड़ा, तोपचौची के नाम से कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


27/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचौची।


27/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचौची।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

25/11/20

20/11/20

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- होटे भाख गौरी पिता स्व. लक्षु गौरी
 जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा फाकेरवेश थाना सं० 129 खाता सं० 139 प्लॉट सं० 202 रकबा 6.30
 3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं० 232 पर कायम है -
 4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है -96-97
 5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- श्री आकाश शर्मा

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- श्री सी ई
 7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
 8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती -

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

बन्दोबस्ती पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	356128	20.8.96	96-97
2	2388198	24.3.04	98-99, 10.20
3	6113672	6.2.14	04-05, 10.20

MW
CA

AG
(The Officer)